न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 04 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.सांगसिंह पुत्र मंगलसिंह
2.हुकमसिंह पुत्र सांगसिंह
3.कालूसिंह पुत्र सांगसिंह
4.जुगतसिंह पुत्र सांगसिंह
5.शैतानसिंह पुत्र सांगसिंह
6.अचलसिंह पुत्र सांगसिंह
7.सुमेरसिंह पुत्र सांगसिंह सर्वे जातियान राजपूत निवासीयान ग्राम मूलाना तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।
8.घेवरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी मूलाना तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर
9.कंवराजसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपूत निवासी बडोड़ा गांव तहसील व जिला जैसलमेर
10.सुरेन्द्रसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान सांगसिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री सवाईसिंह देवड़ा रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 28.11.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। जिसमें वादीगण की कृषि भूमि मौजा मूलाना में समरी खसरा संख्या 57, 58, 59 कुल भूमि 621 बीघा होना बताया। मौजा भीमसर वर्तमान खसरा संख्या 478 में रकबा 50.04 बीघा, खसरा संख्या 502 में रकबा 133.01 बीघा में से 79.16 बीघा कुल रकबा 163.07 बीघा का दावा वादीगण / रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया। वादग्रस्त भूमि को वादीगण ने पिडियाती, पुश्तैनी बताकर कब्जा काश्त की बताया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंटगण को वादग्रस्त भूमि पर खातेदार घोषित किया गया। जबकि यह भूमि सेटलमेंट में भी सरकारी भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियों प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है न ही कोई अभिलेखीय कब्जा साबित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 15.07.2015 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट की पीढीयाती पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम मूलाना में आयी हुई है, समरी बन्दोबस्त में वादीगण के नाम समरी खाता संख्या 67 समरी खसरा संख्या 57 खेत का नाम उकेरी डेयरी रकबा 230 बीघा किस्म बाजरिया समरी खसरा संख्या 58 खेत का नाम रोहिडे वाली रकबा 345 बीघा किस्म बाजरिया समरी खसरा संख्या 59 खेत का नाम थली के उगाणी तरफ रकबा 46 बीघा किस्म बाजरिया कुल समरी खसरा संख्या 03 कुल रकबा 621 बीघा सांगसिंह वल्द मंगलसिंह साकिन देह खातेदार के नाम से दर्ज किया गया तथा स्थाई बंदोबस्त में वर्तमान खसरा संख्या 503 खेत का नाम उकेरी डेयरी रकबा 72.13 बीघा व वर्तमान खसरा संख्या 523 खेत का नाम उकेरी डेयरी रकबा 72.13 बीघा व वर्तमान खसरा संख्या 523 खेत का नाम थली से उगणी तरफ रकबा 23.18 बीघा वर्तमान खसरा संख्या 526 रकबा 21.02 बीघा कुल वर्तमान खसरा संख्या 04 रकबा 427.13 बीघा की खातेदारी दर्ज की गई तथा शेष समरी की भूमि 163.07 बीघा की कमी कर दी गई। जबकि दौराने पैमाईश भू–प्रबन्ध हाल खसरा संख्या 494 रकबा 33.07 बीघा, खसरा संख्या 478 रकबा 50.04 बीघा व खसरा संख्या 502 रकबा 133.01 बीघा में से 79.16 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 163.07 बीघा किस्म बारानी को सिवायचक दर्ज किया गया जो वर्तमान खसरा संख्या

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

494,503,523,526 वादीगण की खातेदारी भूमि के खसरों से लगते हुए है तथा मौके पर मेरा व मेरे पुत्रों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जैसलमेर में समरी बन्दोबस्त से पहले कोई बन्दोबस्त नहीं हुआ था। समरी बन्दोबस्त के बाद संवत 2021–22 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश की गयी। भू–प्रबंध विभाग के सहायक सैटलमेंट ऑफिसर द्वारा उक्त इन्द्राजत बिना किसी आधार के उक्त खसरान का पर्चा लगान व पास बुक न देकर गलत रूप से सिवायचक इन्द्राज कर दिया। वादग्रस्त आराजी पर समरी बन्दोबश्त व सैटलमेंट के अनुसार मेरा काबिज काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भू–प्रबंध के खसरा संख्या 664 रकबा 57.10 बीघा बनाये गये थे, तत्पश्चात रेस्पोडेंट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य कही भी खंडित नहीं हुई है तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार भी उक्त भूमि रेस्पोडेंट की पीढीयाती कृषि भूमि होना पूर्ण रूप से साबित है। अपीलांट ने इस सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उक्त भूमि राजकीय भूमि हो और रेस्पोडेंट के कब्जा काश्त में न हो। विवादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट की पुश्तैनी हैं जिस पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा हैं जो स्वयं पटवारी हल्का के कथन से भी यह साबित है। लेकिन सेटलमेंट वालो ने गलत मनमाने व बदयन्ती पूर्वक तरीके से वादग्रस्त भूमि रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दी। जिसका भू–प्रबंध विभाग को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दोहराने का ही अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट–छांट या उसे विलोपित करने का अधिकार नही था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने व प्रार्थी कर अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि तहसीलदार फतेहगढ़ ने सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध मान्य न्यायालय में अपील करीब 2 वर्ष 09 माह बाद पेश की है जो कि म्याद बाहर है। अपीलांट को निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 15.07.2015 से रही हैं। रेस्पोडेंट द्वारा तहसीलदार फतेहगढ के समक्ष निर्णय एवं डिक्री की पालना करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पर्चा लगान दिलाये जाने की कार्यवाही निर्णय होने के बाद में की गयी। जिस पर तहसीलदार फतेहगढ द्वारा पटवारी हल्का मूलाना को जरिए पत्रांक राजस्व/2016/635 दिनांक 06.07.2016 को निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर फतेहगढ की पालना कर अपीलाधीन आराजी का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने बाबत आदेशित किया गया (जानकारी होने के बावजूद भी दिनांक 16.04.2018 को अपील पेश की गई)। पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के आदेशानुसार रेस्पोडेंट के नाम नामांतरकरण संख्या 714 दिनांक 10.07.2016 को खसरा संख्या 478 रकबा 50.04 बीघा, खसरा संख्या 494 रकबा 33.07 बीघा व खसरा संख्या 502 के मिन खसरा संख्या 502/1746 रकबा 79.16 बीघा खोलकर स्वीकृत हेतु नायब तहसीलदार फतेहगढ को पेश किया जो दिनांक 13.07.2016 को स्वीकृत किया हैं। और भूमि रेस्पोडेंट के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की गयी इसलिए अपील अपीलांट परिसीमा अधिनियम के सुस्थापित सिद्धान्त विलम्ब संतोषजनक ढंग से नहीं होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति मंजूर करने का सद्भावी आधार नहीं होने से अपील पेश करने में सुदीर्घ विलंब हुआ है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा की गई देरी सदभाविक नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते हुए भी अपील प्रस्तुति में लगभग 02 वर्ष 09 माह की सुदीर्घ देरी के समुचित कारणों को Explain भी नहीं किया गया। तहसीलदार फतेहगढ द्वारा पटवारी हल्का मूलाना को जरिए पत्रांक राजस्व/2016/635 दिनांक 06.07.2016 को निर्णय सहायक कलक्टर फतेहगढ की पालना कर अपीलाधीन आराजी का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने बाबत आदेशित किया गया जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार के आदेशानुसार रेस्पोडेंट के नाम नामांतरकरण संख्या 714 दिनांक 10.07.2016 को खसरा संख्या 478 रकबा 50.04 बीघा, खसरा संख्या 494 रकबा 33.07 बीघा व खसरा संख्या 502 के मिन खसरा संख्या 502/1746 रकबा 79.16 बीघा खोलकर स्वीकृत हेतु नायब तहसीलदार फतेहगढ को पेश किया जो दिनांक 13.07.2016 को स्वीकृत किया हैं। अपील पेश करते वक्त अपील में संयोजित पक्षकारों से यह जाहिर होता है कि अपीलांट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ को वर्तमान राजस्व रेकर्ड का भी ज्ञान नहीं है यदि राजस्व रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन करते तो अपीलाधीन आराजी के सभी खातेदारों को अपील में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जो नहीं किया गया।अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 परीसीमा अधिनियम में इस बात का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कब हुई तथा कौन–कौन से प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहे तथा उसकी अवधि क्या रहीं है। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते हैं। चूंकि प्रकरण मे मैरिट पर भी बहस सुनी जा चुकी है अतः पत्रावली पर निर्णय मैरिट पर करने हेतु अग्रसर होना भी उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य EXP-1, EXP-2 जमाबंदी संवत 2069 से संवत 2072 रेस्पोडेंट के खाते में कमी की गई भूमि का वर्तमान रिकॉर्ड। EXP-3, EXP-4 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस जिसमें क्रमशः वादी सांगसिंह पुत्र मंगलसिंह, शेतानसिंह पुत्र मंगलसिंह का खसरा संख्या 502 में रकबा 12 बीघा पर अतिचार दर्ज किया गया तथा वादी हुकमसिंह पुत्र सांगसिंह का खसरा संख्या 493 में रकबा 16 बीघा अतिचार दर्ज किया गया। EXP-5, EXP-6 नकल नक्शा(लट्ठा ट्रैस) साबित करता है कि उसे वक्त समरी सेंटलमेंट खसरा संख्या 57, 58, 59 से बने वर्तमान खसरा संख्या 495, 503, 523 समीपस्थ (Adjoining) है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। वादीगण की यह भूमि इससे पूर्व भी EXP-7 जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2016 से संवत 2020, EXP-8 जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2021 से संवत 2024, EXP-9 जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2025 से संवत 2028, EXP-10 जमाबंदी ग्राम मूलाना संवत 2029 से संवत 2032 में लगातार समरी खसरा संख्या 57, 58, 59 में कुल रकबा 621 बीघा सौंगसिंह पुत्र मंगलसिंह कौम राजपूत साकिन दैह खातेदार दर्ज रहा है। EXP-11, EXP-12, EXP-13 नकल गिरदावरी ग्राम मूलाना क्रमशः संवत 2016 से संवत 2020, संवत 2021 से 2024, संवत 2025 से संवत 2028, संवत 2029 से 2032 में लगातार काश्त साबित है। ढालबांछ EXP-14 ग्राम मूलाना संवत 2031 में संवत 2022, 2025, 2029 में खातेदार सांगसिंह पुत्र मंगलसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार जुर्माना कायमी हुई। जिससे यह साबित है कि वादीगण का लगतार कब्जा काश्त रहा है। EXP-15 पर्चा खतौनी ग्राम मूलाना जिसमे वादीगण द्वारा समरी खसरा संख्या 57, 58, 59 की किस्त वसूली रकम अदा की गई है जो सहायक सैटलमेंट ऑफीसर से प्रमाणित है। EXP-16 तुलनात्मक रजिस्टर ग्राम मूलाना जिसमें वादीगण के नाम दर्ज खसरा संख्या 57, 58, 59 कुल रकबा 621 दर्ज था जो स्थाई सैलमेंट में वादीगण के नाम 427.13 बीघा खातेदारी में दर्ज की गई तथा शेष रकबा 163.07 बीघा की कमी की गई लेकिन कमी का इंद्राज नहीं किया गया। EXP-17 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2070, EXP-18 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2069, EXP-19 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2069, EXP-21 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2067, EXP-

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

21 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2067, EXP-22 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2067, EXP-23 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2064, EXP-26 खसरा परिवर्तनशील ग्राम मूलाना संवत 2048 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट का पृथक-पृथक रकबा पर कब्जा काश्त रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चार तनकीयात कायम की गई जिसमें से प्रतिवादी द्वारा एक भी तनकी को अपने पक्ष में साबित करने का कोई आधार एवं साक्ष्य पेश नहीं करने से उसके विरूद्ध निर्णित की गई। प्रतिवादी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजात या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिसमें यह साबित होता हो कि वादीगण/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव में समरी सेटलमेंट की प्रविष्टि को हूबहू दोहराना चाहिए था। वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य रूप में बयान शपथ-पत्र एवं वादीगण के गवाह कल्याणसिंह पुत्र श्री सुरतानसिंह जाति राजपूत निवासी मूलाना उम्र 93 ने अपने शपथ पूर्वक कथन करता हू बताया कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी पर स्थाई बंदोबस्त लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। हर वर्ष वर्षा होने पर गवार, बाजरी, मूंग, मोठ आदि की खेती वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा की जाती है तथा अन्य गवाहन के बयाद वाद-पत्र के समर्थन में है। प्रतिवादी सरकारी पक्ष के गवाह सुगनसिंह पटवारी मूलाना ने अपने बयान में दिनांक 30.10.2014 को यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान खसरा संख्या 494 में रकबा 33.07 बीघा, खसरा संख्या 478 में रकबा 50.04 बीघा एवं खसरा संख्या 502 में कुल रकबा 133.01 बीघा में 79.16 बीघा (राजकीय सिवायचक भूमि) है पर वादीगण का उक्त खसरों में बतौर अतिक्रमी समय-समय पर काश्त की जाती रही है वर्तमान में भी अतिक्रमी के रूप में वादीगण द्वारा अतिक्रमण कर काश्त की गई है। सेटलमेंट अधिकारियों ने बिना किसी आधार और बिना कारण वादीगण की खातेदारी भूमि काटकर राजकीय सिवायचक दर्ज करने में भूल की है। ऐसा करने के लिए वे अधिकृत भी नहीं है। सैटलमेंट द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिना कोई सक्षम न्यायालय के आदेश के उसको मनमाने तरीके से कमी की गई हैं। भू प्रबंध विभाग को वादीगण की वादग्रस्त आराजी भूमि को कम दर्ज करने का व उसे खातेदारी में कमी कर सिवायचक दर्ज करने का कोई प्राधिकार नहीं रहा है। इस अवधाराणा की पुष्टि निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों से होती हैं।

1- Pana V/s Rampal 1969 RRD Page No. 231

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

"Settlement-Entry in previous settlement to be repeated unless change occurred as result of order of competent authority or succession or transfer. certified by mutation order failure to ascertain how change in subsequent entries occurred without order of competent authority render findings perverse and based on no record.

2- State of Rajasthan V/s Jeth Mal Luniya 1973 RRD Page No. 702

Khatedari rights-Change in Jamabandi entries eld that Khatedari right derogatory to title of recorded Khatedar cannot be conderred by A.S.O. or A.R.O. during settlement operation without competent order abandi entries can be changed only by a competent order passed by a court or panchayat during course of mutation proceeding officer of settlement duptt. cannot change Khatedari right merely because some on else found in possession and Khatedari right cannot be granted to such person by then ASO, not empowered to confer Khatedari right in respect of land recorded in name of another person in record of right on a person in possession in opinion of A.S.O. – Khatedari ruights are acquired by operation of law or by act of parties-Procedure adepted, heldf wholly irregular and illegal where nothing on record to show that Pujari acquired Khatedari right Ref. accepted and enteries, ordered to be replaced.

3- Maladeen V/s Sri ram 1983 RRD Page No. 64

Settlement entries- A.S.O. had no authority to change name of recorded Khatedar without any order of competent court A.S.O. has only to repeat earlier entry of Jamabandi. – 1969 RRD 231 referred-petitioner, held not become khatedar by an illegal act of ASO since enteries made by fraud-petitioner cannot be treated as tenant on basis of such entry.

4- Mst. Landhi V/s Bhura Ram 1983 RRD Page No. 364

Settlement powers of settlement authority – Application for entering land on basis o land possession and a decree of SDO U/s 178 RT Act, accepted by ASO where land was in Khatedari of another person. Held, order of ASO could not be based on decree of competent court since decree of SDO, set aside in

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

review. Settlement authorities have not power to grant Khatedari right settlement aughorities, not empowered to change any entry in previous settlement records unless change occurred as a result of an order of competent authority or acquisition or transfer, certified by mutation order-1980 RRD 48 re-lying on 1969 RRD 231 & 1973 RRD 31 followed 1965 RRD 270, not applicable.

5- Tarsingh & Ors V/s Khet Singh & Ors 2003 RRD Page No. 298

भू प्रबन्ध विभाग को सैटलमेंट के दौरान मात्र पुरानी प्रविष्ठियों को दोहराने का ही अधिकार हैं न कि उन्हें परिवर्तित किये जाने का। यदि किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री अथवा सक्षम अधिकारी के आदेश से परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो तो वो उक्त आधार पर कर सकेगा अन्यथा नहीं। सहायक भू प्रबंधक अधिकारी को न तो किसी के कब्जे काश्त की व खुद काश्त की भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने का अधिकार हैं और न ही गोचर।

6. RRT 2016(1) Page 374 राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिधारित विधि का सारवान सिद्धांत है कि Settlement department was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों एवं अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर यह साबित होता है कि वादी/रेस्पोडेंटगण का ग्राम मूलाना में समरी खसरा में खातेदार रूप में इन्द्राज था परन्तु वक्त सेटलमेंट उसकी प्रविष्टि बिना किसी कारण विलोपित कर दी गई। इसके बाद भी उसका उपरोक्त अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर दावाकृत राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त होता रहा। इससे वादीगण अपनी समरी बंदोबस्त में दर्ज 163.07 बीघा खातेदारी भूमि को पाने का अधिकारी ठहरता है। इसी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पुष्ट करते हुए उसे वादग्रस्त राजकीय सिवायचक भूमि में से उसकी वक्त समरी सेटलमेंट में खातेदार रूप में दर्ज भूमि रकबा 163.07 बीघा पर खातेदारी घोषणा की है जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से एवं मैरिट पर खारिज किये जाने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 10/2015 बअनवान सांगसिंह वगै. बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

28/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर केम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 04 / 2018 / जैसलमेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ — बनाम 1.सांगसिंह पुत्र मंगलसिंह वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता वास्ते बनाने पक्षकार बतौर उतरदाता बाबत्।

उपस्थित

1. वकील श्री सवाईसिंह देवड़ा प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री हाजीखां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 28.11.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार बताय है कि हस्तगत अपील मान्य न्यायालय में पेश होने से पूर्व प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी भूमि खरीदी गई थी तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम अमल दरामद नामान्तकरण, जमाबंदी, गिरदावरी ट्रैस नक्शा में दर्ज हो चुकी थी फिर भी अपीलांट द्वारा अपील में प्रार्थीगण आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी जानबूझकर आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी/आवेदक द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान खरीद गई थी तथा मौके पर उतरदाता ने प्रार्थी को भौतिक रूप से कब्जा करवा दिया है तथा वक्त बेचान से प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी को जरिये नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 05.09.2016 को प्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किया जा चुका है। अपीलांट ने अपील पेश करते समय मुझ प्रार्थी को जानबूझकर अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है अपील राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फतेहगढ द्वारा पेश की गई जबकि बेचान की पालना में नामांतकरण भी अपीलांट स्वयं द्वारा भरा गया है। जबकि प्रार्थी इस अपील में आवश्यक पक्षकार है तथा अपीलांट को उक्त बेचान जानकारी भी भलीभांति थी। प्रार्थी/आवेदकगण सदभावी क्रेता है। न्यायाहित में प्रार्थी को इस अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया जावें इसलिये प्रार्थीगण के हित हस्तगत अपील से पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे है तथा प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार भी है इसलिये प्रार्थीगण को इस अपील में बतौर उतरदातागण के रूप में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि आवेदक सदभावी क्रेता नहीं है। प्रार्थी/आवेदक ने बदनीयती से वादग्रस्त आराजी को क्रय किया है तथा वादग्रस्त आराजी सिवायचक राजकीय भूमि है जिसमें आवेदक का कोई हक नियत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित होने से पूर्व तक प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुना गया। उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण/आवेदक द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 26.08.2016 को क्रय किया गया है। आवेदक सदभावी क्रेता है। रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 502/1746 रकबा 79.16 बीघा मौजा मूलाना तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर का प्रार्थीगण को जरिये नामान्तकरण संख्या 721 दिनांक 05.09.2016 से खातेदार दर्ज किया जा चुका है। अपील पेश करने से पूर्व प्रार्थीगण के नाम से नामांतकरण भरा जा चुका था जिससे प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी को पक्षकारान के रूप में संयोजित करना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण आवश्यक एवं प्रभावित/पीड़ित पक्षकार होने से उनका आवेदन स्वीकार किया जाकर पक्षकार बतौर उतरदाता संख्या 08 से 10 क्रमशः 8. घेवरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी मूलाना तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 9.कंवराजसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपूत निवासी बडोड़ा गांव तहसील व जिला जैसलमेर 10.सुरेन्द्रसिंह पुत्र बच्चनसिंह जाति राजपूत निवासी शेखासर तहसील बाप जिला जोधपुर के रूप में संयोजित किया जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner